-1697 ..../छप्पन-2018

विशेष सचिव,
नागरिक उड्डयन

1459/PS/CM/18

1339/US/CA/18

US/SO

जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में प्रस्तावित नोएडा इण्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयर पोर्ट के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन से संबंधित सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) हेतु नामित एजेन्सी, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई SIA रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समूह (Expert Group) की बैठक दिनांक 10.08.2018 की कार्यवृत्ति।

27/8
(एस० पी० गोयल)
प्रमुख सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

27-8-18
(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग,
उ० प्र० शासन।

1. बैठक मे उपस्थिति संलग्न है।
2. दिनांक 22 जून 2018 को सम्पन्न बैठक में विशेषज्ञ समूह (Expert Group) द्वारा SIA रिपोर्ट में इंगित की गई 81 Observations के संबंध में Compliance Matrix के साथ संशोधित SIA रिपोर्ट, नामित एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई तथा विस्तार से पावर प्वाइंट प्रजेनटेशन दिया गया। नामित एजेन्सी द्वारा SIA के सम्बन्ध में Detailed Project Description, Approach and Methodology for SIA, Socio- Economic profile of Impact Zone, Land Assessment of the PAPs, Estimation and Enumeration, Socio-economic profile of PAPs, Public Consultations, Social Impact Analysis, Cost-benefit analysis और Social Impact Management Plan (SIMP) के विषय में विवरणात्मक (Descriptive) पॉवर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया।
3. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा विचार व्यक्त करते हुये कहा गया कि प्रस्तावित एयर पोर्ट हेतु स्थल का चयन किस आधार पर किया गया है तथा स्थल पर प्रोजेक्ट हेतु निर्धारित भूमि के क्षेत्रफल का आधार क्या है? इस पर नामित एजेन्सी द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल की Site Clearance दिनांक 06.07.2017 को नागर विमानन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय की अनापत्ति तथा Air Funnel Zone के दृष्टिगत तथा स्थल के OLS सर्वे के आधार पर किया गया है। जेवर एयर पोर्ट प्रोजेक्ट हेतु कुल 1441 हे0 भूमि की आवश्यकता बताई गयी थी, जिस पर तकनीकी टीम द्वारा Land Optimization कर 1334 हे0 भूमि की (Absolute bare Minimum) न्यूनतम आवश्यकता बताई गई है। विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि इसके संबंध में तकनीकी टीम PWC द्वारा 1334 हे0 भूमि की (Absolute bare Minimum) की आवश्यकता का पत्र पृथक से दिया गया है। नामित एजेन्सी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रस्तावित स्थल पर इससे कम विस्थापित किये जाने संबंधी अन्य विकल्प उपलब्ध नही है। इस पर Expert Group द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई।
4. श्री तेजवीर, ग्राम प्रधान किशोरपुर द्वारा कहा गया कि परिवार के हिसाब से नौकरी दी जाये तथा उचित मुआवजा दिया जाये।
5. श्रीमती कमलेश देवी, ग्राम प्रधान रोही/पारोही द्वारा कहा गया कि विस्थापित होने वाले परिवारों को जेवर तहसील में ही जेवर के आस पास ही विस्थापित किया जाये। परिवार के हिसाब से नौकरी तथा उचित मुआवजा दिया जाये। यमुना प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि विस्थापन हेतु भूमि का चयन जेवर के पास ही किया गया है।
6. विशेषज्ञ समूह (Expert Group) के सदस्य डा0 प्रशान्त कुमार त्रिवेदी द्वारा कहा गया कि संशोधित सामाजिक समाघात (SIA) रिपोर्ट में काफी सुधार आया है और गुणात्मक आंकडों का अच्छा संग्रह किया गया है। यदि SIA रिपोर्ट के पेज 65-66 (Key Concerns and Recommendations) में दी गयी PAPs की मांगो पर अमल किया जाये तथा भूमिहीनों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाय तो प्रस्तावित प्रोजेक्ट के सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभावों से अधिक होंगे। उपरोक्त संस्तुतियों के साथ विशेषज्ञ समूह सामाजिक समाघात रिपोर्ट को उ0 प्र0 शासन के पास अग्रप्रेषित करें। इस पर विशेषज्ञ समूह के सभी सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
7. अपर जिलाधिकारी (भू0 अ0) ने ग्राम में भूमिहीन व्यक्तियों की संख्या के संबंध में पूछा, जिस पर विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि R & R administrator द्वारा House to House सर्वे Section-11 के जारी होने के तीन माह के

श्रीमती सिंह
28-8-18

Scanned by CamScanner